उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 02 /2022/3415जे0/22-5-21-1200(38)/2017

लखनऊ : दिनांक 05जनवरी, 2022

वारण्ट

वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-39031/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/01/2021, दिनांक 15-12-2021 के अनुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बृजेन्द्र उर्फ मुक्की पुत्र श्री मान सिंह को मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाया गया है तथा उक्त बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकि त्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित करने हेतु अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, झांसी में वापस भेज दिया जाये।

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-02/2022/3415जे0(1)/22-5-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-39031/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/01/2021, दिनांक 15-12-2021 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। (संलग्नक यथोक्त)
2. जिलाधिकारी, झांसी ।
3. पुलिस अधीक्षक, झांसी ।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी ।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामध्यान रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।